भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2413
13 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंधों के वित्तीय प्रभाव

2413. श्री के. सुधाकरन:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टूटे चावल सहित प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर हाल ही में लगाए गए निर्यात प्रतिबंध और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को होने वाली संभावित हानि के वित्तीय प्रभाव का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत/पूरी हो चुकी इकाइयों की संख्या सहित शीतागार अवसंरचना विस्तार परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी निवेश में विलंब, भूमि अधिग्रहण संबंधी विवादों सहित मेगा फूड पार्क योजना में आने वाली बाधाओं की पहचान की है और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या टमाटर और प्याज जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों के मूल्य वर्धित प्रसंस्करण में वृद्धि करने के लिए कोई नए प्रोत्साहन शुरू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टरों को प्रमुख निर्यात केन्द्रों के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है और पत्तनों से सीधे संपर्क वाले कितने फूड पार्कों को चालू कर दिया गया है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने हाल ही में टूटे चावल पर लगाए गए प्रतिबंध सहित प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंधों के वित्तीय प्रभाव का आकलन करने के लिए ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख): दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारत के विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के विभिन्न योजना घटकों केअंतर्गत कुल 554 शीत श्रृंखला अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। विवरण नीचे दिया गया है:

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के पास शीत भंडारण का विवरण

पीएमकेएसवाई की उप-योजनाएं	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	चालू परियोजनाएं	पूर्ण प्रोजेक्ट	पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के पास शीत भंडारण की संख्या	पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के पास शीत भंडारण की क्षमता (एमटी में)
ऑपरेशन ग्रीन्स	44	37	7	14	24500
कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना	75	52	23	21	71200
मेगा फूड पार्क	41	17	24	66	286100
एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना	394	108	286	477	1377500

इसके अलावा, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत/अनुमोदित और पूर्ण/प्रचालनरत इकाइयों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

पीएमकेएसवाई की विभिन्न उप-योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	पीएमकेएसवाई की उप-योजनाएं	स्वीकृत परियोजनाएँ	पूर्ण/ प्रचालनरत
1	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढांचा	75	23
2	बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण	61	53
3	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना	394	286
4	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता का सृजन/विस्तार (इकाई योजना)	526	293
5	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना	205	167
6	मेगा फूड पार्क	41	24
7	ऑपरेशन ग्रीन्स	44	7
8	मानव संसाधन एवं संस्थान – अनुसंधान एवं विकास	236	225

9	मानव संसाधन एवं संस्थान - कौशल विकास हेतु योजना	26	25
	कुल	**1608**	**1103**

(ग): देश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 में मेगा फूड पार्क योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हब और स्पोक मॉडल के आधार पर क्लस्टर दृष्टिकोण को अपनाते हुए विश्व स्तरीय अवसंरचनाऔर सामान्य उपयोगकर्ता सुविधाएँ स्थापित करना था। इस योजना के लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी, जो अक्सर पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में बाधा बनती है। कई राज्य सरकारों और 12वें वित्त आयोग केअंतर्गत गठित कार्य समूह की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, 10 एकड़ के अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य अवसंरचना विकसित करने के लिए पीएमकेएसवाई केअंतर्गत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर की एक नई योजना शुरू की गई थी। तदनुसार, स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ दिनांक 01.04.2021 से मेगा फूड पार्क योजना को बंद कर दिया गया है।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नवंबर 2018 से टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए पीएमकेएसवाई केअंतर्गत"ऑपरेशन ग्रीन्स" को लागू कर रहा है। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 से मूल रूप से टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसलों पर लागू ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का दायरा बढ़ाकर 22 विकारी फसलों तक कर दिया गया है।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 31.03.2021 को आयोजित अपनी बैठक में केंद्रीय क्षेत्र योजना- "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)" को मंजूरी दी, ताकि भारत के प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण की सहायता सके और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को समर्थन दिया जा सके। इसका परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है । यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह साल की अवधि में लागू की जा रही है।

(ङ): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफ़पीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफ़एमपीआई) योजना के माध्यम से देश भर में संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, जिससे किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करने, बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित करने, कृषि उत्पाद की बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेगा फूड पार्क, जो निर्यात हबों के साथ खाद्य प्रसंस्करण को एकीकृत करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहित पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों केअंतर्गत मोबाइल प्री-कूलिंग वैन और रीफर ट्रकों सहित शीत श्रृंखला अवसंरचना के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

*****